

10.08.2020 पत्रावली पेश। वकील वादी एवं वादिणी
 अनुपस्थित। रक-रक कर तीन बार
 आवाज लगाई गई। वाक्जुद इसके कोई
 उपस्थित नहीं। इसके प्रतीत होता है
 कि वादी एवं वकील वादी अपने दावे
 को लेकर गंभीर नहीं है अतः दावा
 अदम्य धारिणी अदम्य पेश की गई। इसी स्तर
 पर खारिज किया जाता है पत्रावली के साथ
 शुभार लेकर नेबर से कप की जाऊँ
 दाखिल वक्त है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट ट्रैक) सांचौर (जालौर)

